कार्यालय अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, हाथरस।

अल्पकालीन निविदा सूचना

पत्रांक – 632/11ए **दिनांक – 07.02.2015**

1. महामहिम राज्यपाल महोदय, उ0प्र0 की ओर से अधिशासी अभियंता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, हाथरस में ए0बी0सी0,डी0 एवं ई0 श्रेणी के पंजीकृत एवं पात्र ठेकेदारों से प्रतिशत दरों में अधोलिखित कार्य हेतु निविदायें आमंत्रित करते हैं।

2.

क्र0 सं0	जिला	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)	धरोहर धनराशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने का समय	कार्यकारी अधिशासी अभियंता के कार्यालय का पता	अधीक्षण अभियंता के कार्यालय का पता	जिलाधिकारी कार्यालय का पता	मुख्य अभियंता कार्यालय का पता	पात्र ठेकेदार की श्रेणी
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण कार्य।							अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, हाथरस।	अधीक्षण अभियंता अलीगढ़ वृत्त, लो0नि0वि0, अलीगढ़	जिलाधिकारी हाथरस	मुख्य अभियंता आगरा क्षेत्र, लो0नि0 वि0, आगरा	
1-		सीकुर से नगला लच्छी मार्ग	**5.00**	**0.50**	500+ 150+ T.T.	1 माह					**A,B,C,D,E** (मार्ग कार्य)
2-		खुटीपुरी से पैठगांव	**10.00**	**1.00**	500+ 225+ T.T.	1 माह					**A,B,C,D** (मार्ग कार्य)
सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण कार्य।											
3-		नगला छत्ती से गढ़ी अन्ता तक मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	**6.00**	**0.60**	500+ 225+ T.T.	1 माह					**A,B,C,D,E** (मार्ग कार्य)
पैच मरम्मत का कार्य।											
4-		पी0बी0 मार्ग कि0मी0 176 से 187 व 190 से 194 एवं 207 से 209 तक पैच मरम्मत का कार्य।	**8.00**	**0.80**	500+ 225+ T.T.	1 माह					**A,B,C,D,E** (मार्ग कार्य)

3. प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्षाऋतु को शामिल करते हुये कॉलम नं0 7 में वर्णित है।

4. निविदा की वैघता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिवस होगी एक बार प्रस्तुत की गयी निविदा वापिस नहीं ली जा सकती है।

5. कार्य से सम्बन्धित निविदा प्रपत्र सम्बन्धित अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता, जिलाधिकारी एवं मुख्य अभियन्ता कार्यालय जैसा कि कॉलम 8, 9, 10 एवं 11 में क्रमशः पते अंकित है, से दिनांक **20.02.15** से **23.02.15** तक प्रातः 11 बजे सायं 4 के मध्य किसी भी कार्यदिवस में गैर वापिसी शुल्क, रू0 500.00 (रू0 पांच सौ मात्र) स्टेशनरी शुल्क एवं रू0 300.00 (रू0 तीन सौ मात्र) निविदा प्रपत्र का मूल्य तथा विक्रय कर अतिरिक्त, कार्य हेतु जैसा कि कालम 6 में दर्शाया गया है, में नकद या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जो अधिशासी अभियंता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, हाथरस के पक्ष में भुगतान हेतु देय होगा द्वारा खरीदा जा सकता है। ठेकेदार जो अन्य जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं वह जहां से निविदा प्रपत्र खरीदें जायेंगे वहीं से प्राप्त कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र (Bidding document) पंजीकृत डाक से अथवा स्पीड पोस्ट से मंगाये जाने हेतु ठेकेदार को दिनांक **21.02.15** को सायं 4.00 बजे से पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा प्रत्येक निविदा प्रपत्र हेतु रू0 200/– अतिरिक्त जमा करने होंगे। डाक से निविदा मंगाने की अवस्था में डाक वितरण अथवा प्राप्ति में किसी प्रकार का विलम्ब होने पर अधोहस्ताक्षरी की जिम्मेदारी नहीं होगी। निविदा सूचना बेवसाइट www.uppwd.up.nic.in & upgov.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

6. बेवसाइट पर निविदा सूचना में किसी प्रकार की भिन्नता होने पर सम्बधित कार्यालय में उपलब्ध निविदा प्रपत्र ही प्रामाणिक मानी जायेगी।

7. निविदा कार्यकारी अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता, जिलाधिकारी हाथरस अथवा मुख्य अभियंता के कार्यालय जिनके पते क्रमशः 8, 9, 10 एवं 11 पर अंकित है को दिनांक **24.02.15** अपरान्ह 12.00 बजे तक निविदा पेटिका में डाली जायेगी जिनकी तकनीकी निविदायें अगले कार्यकारी दिवस दिनांक **25.02.15** को दोपहर 12.30 बजे जिलाधिकारी के कार्यालय के परिसर में स्थित सभागार (जैसा कि कॉलम–10 में दर्शाया गया है) में निविदाताओं (जो उपस्थित होना चाहते है) के समक्ष खोली जायेगी तथा निविदा प्राप्ति अथवा खोलने की तिथि पर कार्यालय यदि बन्द होता है तो निविदायें अगले कार्यकारी दिवस में निर्धारित समय व स्थान पर प्राप्त की जायेगी व खोली जायेंगी तथा निविदाओं की वैद्यता मूल तिथि से मानी जायेगी।

8. प्रत्येक निविदा के साथ धरोहर धनराशि जैसा की कालम–5 दर्शाया गया है को संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो एन0एस0सी0/राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ.डी.आर. के रूप में सम्बन्धित अधिशासी अभियंता के पक्ष में बंधक होगी।

9. ऐसे निविदादाता जिनका कोई सगा सम्बन्धी (First Blood Relations & Their Spouse) जैसा कि खण्डीय लेखाधिकारी अवर अभियंता, सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता, के पद पर आसीन होंगे, को कार्य करने की अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी। निविदादाता को इस सम्बन्ध में नाम कार्यकारी रिश्तेदार का तथा पद को दर्शाते हुये एक एफीडविट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जो कि खण्ड अथवा वृत्त में कार्यरत है।

10. ऐसे राजपत्रित अभियन्ता/अधिकारी जिनका राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की सेवा से दो साल सेवानिवृत्त के पूर्ण नहीं हुए हैं को कार्य करने की अनुमति बिना राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति बिना नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत्त अभियंता/अधिकारी बिना सरकार के अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायेंगे तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।

11. निविदा प्रपत्र तथा अन्य विवरण जैसे अर्हता कार्य की विशिष्टियां विभिन्न कार्यो के शिड्यूल ऑफ क्वाटिटी जो कार्य किया जाना है के सम्बन्ध में अधिशासी अभियंता के कार्यालय में जैसा कि कालम–8 में दर्शाया गया है किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक दिनांक **20.02.15** से **23.02.15** तक देखी जा सकती है।

12. अपराधिक रिकार्ड वाले निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।

13. कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउन्सिल में पंजीकृत है, वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।

14. 10.00 लाख के ऊपर के कार्यो के लिए प्रत्येक निविदादाता के प्रत्येक कार्य के लिए (संलग्नक–1) के अनुसार निर्धारित प्रोफार्मा पर सारी सूचनायें एफीडेविट के रूप में देनी होगी, जिससे कि निविदादाता के बिड कैपसिटी (कार्य्र करने की निविदा क्षमता) आंकलित की जा सके। प्रत्येक निविदादाता को निविदा डालने से पूर्व बिड कैपेसिटी के लिए स्वयं को संतुष्ट करना होगा। बिड क्षमता सेक्शन 3 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप आंकलित की जायेगी, जो निविदादाता बिड कैपिसिटी को पूर्ण नहीं करते हैं, उनकी निविदा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जायेगी।

15. **महत्वपूर्ण –** रूपया दस लाख से अधिक लागत की निविदायें दो भागों में प्रस्तुत की जायेंगी। निविदा भाग–1 में तकनीकी निविदि तथा निविदा भाग–2 में वित्तीय निविदा, तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफों में बन्द कर दो लिफाफों को तीसरे लिफाफे में सीलबन्द करते हुये निविदा डाली जायेगी।

16. निविदादाता को प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ जारी सूचनाएं उ0प्र0 लो0नि0वि0, प्रपत्र निर्धारित प्रोफार्मा (टी–4, टी–5, टी–6) मूल में एवं पंजीकरण प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

17. सक्षम अधिकारी को बिना किसी कारण बतायें निविदा स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

18. निविदा केवल वैध हैसियत एवं चरित्र प्रमाणपत्र धारकों को ही बेची जायेगीं।

19. जिन ठेकेदारों द्वारा कम प्रतिशत दर पर निविदा दी जायेगी उनसे शासनादेश सं0 622/23–12–2012–2 ऑडिट/08 टी0सी0–2 लखनऊ दिनांक 08.06.2012 के अनुपालन में निम्नानुसार अतिरिक्त परफार्मेस सिक्योरिटी ली जायेगी।

    (अ) जिन ठेकेदारों द्वारा दस प्रतिशत तक कम दर (Below) पर निविदा दी जायेगी उनसे 1 प्रतिशत 0.50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त सिक्योरिटी ली जायेगी।

    (ब) जिन ठेकेदारों द्वारा दस प्रतिशत से अधिक कम दर (Below) पर निविदा दी जायेगी उनसे 1 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त सिक्योरिटी ली जायेगी।

(एस0पी0 सिंह)
अधिशासी अभियंता
प्रा0ख0लो0नि0वि0, हाथरस।